

583

7/5/15

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(44)नविवि/3/2009 पार्ट-1

जयपुर दिनांक 6 MAY 2015

परिपत्र

विषय :- शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के सहारे हाईवे डवलपमेन्ट कन्ट्रोल योजना क्षेत्र बनाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्र के द्वारा मास्टर प्लान में प्रस्तावित परिधि नियंत्रण क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के सहारे हाईवे डवलपमेन्ट कन्ट्रोल एरिया में विभिन्न उपयोगों को अनुज्ञेय किये जाने के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उक्त परिपत्र के साथ संलग्न अनुसूची के बिन्दु सं. 2 में संस्थाओं यथा स्वास्थ्य, शिक्षण आदि के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 2 हेक्टर तथा न्यूनतम सड़क की चौड़ाई 18 मीटर निर्धारित किये गये हैं। इस बिन्दु में सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है :-

“विभिन्न संस्थाओं को मान्यता” देने वाले प्राधिकृत संस्थानों द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल के मानदण्डों की पूर्ति होने पर भी प्रस्तावित उपयोग (स्वास्थ्य/शिक्षण संस्थान आदि) अनुज्ञेय होंगे।”

राज्यपाल की आज्ञा से,

On 6/5/15
(राजेश सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.) एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति, नगर नियोजन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्याय समिति।
9. स्थित पञ्चायती।

On 6/5/15
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय